

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: 11 (2)/ मो./एमपीआर/आईसीडीएस/2017-18 211748-775 जयपुर, दिनांक 12/12/18

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त। (दौसा, डूंगरपुर, राजसमन्द,  
चित्तौड़गढ़, सीकर को छोड़कर)।

विषय:- कारण बताओ नोटिस।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक 176214-246 दिनांक 01.10.2018, व 195121-154  
दिनांक 02.11.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा समस्त उप निदेशकों द्वारा परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्धारित प्रपत्र के अनुसार संकलित सूचना सहित दिनांक 12.11.2018 तक संबंधित कार्मिक को निदेशालय में उपस्थित होकर परियोजनावार अंक मिलान करवाने निर्देश दिये गये थे, लेकिन आज तक अपेक्षित है। परियोजनाओं का परिसीमन के अनुसार अंक मिलान का कार्य समयावधि में नहीं करवाने का कारण स्पष्ट करते हुए अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में अद्योहस्तरकर्ता को प्रस्तुत करें।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि परियोजनाओं का परिसीमन के अनुसार अंक मिलान दिनांक 11.12.2018 तक करवाना सुनिश्चित करावें ताकि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण से संबंधित सूचनाओं का समय पर संकलित किया जा सके अन्यथा विलम्ब एवं राजकीय कार्य प्रति लापरवाही की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

53/46  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: 11 (2)/ मो./एमपीआर/आईसीडीएस/2017-18 211776-212029 जयपुर, दिनांक 12/12/18  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परियोजनाओं का परिसीमन के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में संकलित सूचना उपनिदेशक कार्यालय को समयावधि में भिजवाना सुनिश्चित करे।
2. एसीपी उम्मेदवारों के विभाग को निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध करावे।

अतिरिक्त निदेशक (आई)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।